

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—63/2022 (2022/223) वादपत्र

उनवान

1. पर्वतसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. ईश्वरसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. आनन्दकंवर पुत्री गोवर्धन सिंह पत्नि लालसिंह राजपूत निवासी करेडा तह. व जिला राजसंमद

वादीगण

बनाम

1. अभयसिंह पुत्र डुगरसिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवीसिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दीपसिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मनोहरसिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 4/1. धनकंवर पत्नि मनोहरसिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4/2. तेजसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4/3. श्यामसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4/4. श्रवणसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4/5. कमलाकंवर पुत्री मनोहरसिंह पत्नि शक्तिसिंह चौहान निवासी रकमपुरा तहसील आमेठ
- 4/6. पुष्पाकंवर पुत्री मनोहरसिंह पत्नि भगवानसिंह राठौड़ निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा
- 4/7. सुखाकंवर पुत्री मनोहरसिंह पत्नि शंकरसिंह राठौड़ राजपूत निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. सुनिल बापना —

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 25.01.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 30.06.2022 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम ठिकरिया पटवार हल्का टूंगच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के शामिल की कृषि आराजियात के खाता संख्या 9 में अकिंत आराजी संख्या 251 रकबा 0.43 है, आराजी संख्या 252 रकबा 0.40 है, आराजी संख्या 253 रकबा 0.37 है, आराजी संख्या 254 रकबा 0.26 है, आराजी संख्या 255 रकबा 0.28 है, आराजी संख्या 256 रकबा 0.32 है, आराजी संख्या 257 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 258 रकबा 0.56 है, आराजी संख्या 259 रकबा 0.25 है, आराजी संख्या 262 रकबा 0.35 है, आराजी संख्या 263 रकबा 0.35 है, आराजी संख्या 83 रकबा 3.73 है, आराजी संख्या 90 रकबा 0.13 है, आराजी संख्या 91 रकबा 0.34 है, आराजी संख्या 92 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 93 रकबा 3.34 है, आराजी संख्या 94 रकबा 0.19 है, आराजी संख्या 95 रकबा 0.41 है कुल किता 18 कुल रकबा 11.75 है भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते



(Handwritten signature)

हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 25.01.2023 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीगण अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादीगण अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम ठिकरिया पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 9 में प्रस्तावित आराजी संख्या 93/1 रकबा 1.25 है0, आराजी संख्या 94 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 95/1 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 258/2 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 259 रकबा 0.25 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.35 है0 भूमि गोर्धनसिंह पिता अमरसिंह राजपूत के फोट होने से पर्वतसिंह, ईश्वरसिंह पिता गोर्धनसिंह, आनन्दकंवर पुत्री गोर्धनसिंह राजपूत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 251 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 252 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 253 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 254 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 255 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 256 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 257 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 258/1 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 262 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 263 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 83 रकबा 3.73 है0, आराजी संख्या 90 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 91 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 92 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 93/2 रकबा 2.09 है0, आराजी संख्या 95/2 रकबा 0.21 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 9.40 है0 भूमि अभयसिंह दत्तक पुत्र डुंगरसिंह 1/4 राजपूत रहन एसबीबीजे रायपुर, देवीसिंह पिता अमरसिंह 1/4, दीपसिंह पिता अमरसिंह 1/4, मनोहरसिंह पिता अमरसिंह मृतक के बजाय धनकंवर पत्नि मनोहरसिंह, तेजसिंह, श्यामसिंह, श्रवणसिंह पुत्र मनोहरसिंह, कमलाकंवर, पुष्पाकंवर, सुखाकंवर पुत्री मनोहरसिंह 1/4 राजपूत सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबोध सिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)
जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—63/2022 (2022/223) वादपत्र

उनवान

1. पर्वतसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. ईश्वरसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. आनन्दकंवर पुत्री गोवर्धन सिंह पत्नि लालसिंह राजपूत निवासी करेडा तह. व जिला राजसमंद वादीगण
बनाम

1. अभयसिंह पुत्र डुंगरसिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवीसिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दीपसिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मनोहरसिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 4/1. धनकंवर पत्नि मनोहरसिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4/2. तेजसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4/3. श्यामसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4/4. श्रवणसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत निवासी ठिकरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4/5. कमलाकंवर पुत्री मनोहरसिंह पत्नि शक्तिसिंह चौहान निवासी रकमपुरा तहसील आमेट
- 4/6. पुष्पाकंवर पुत्री मनोहरसिंह पत्नि भगवानसिंह राठौड़ निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा
- 4/7. सुखाकंवर पुत्री मनोहरसिंह पत्नि शंकरसिंह राठौड़ राजपूत निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम ठिकरिया पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 9 में प्रस्तावित आराजी संख्या 93/1 रकबा 1.25 है0, आराजी संख्या 94 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 95/1 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 258/2 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 259 रकबा 0.25 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.35 है0 भूमि गोर्धनसिंह पिता अमरसिंह राजपूत के फोट होने से पर्वतसिंह, ईश्वरसिंह पिता गोर्धनसिंह, आनन्दकंवर पुत्री गोर्धनसिंह राजपूत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 251 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 252 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 253 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 254 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 255 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 256 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 257 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 258/1 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 262 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 263 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 83 रकबा 3.73 है0, आराजी संख्या 90 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 91 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 92 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 93/2 रकबा 2.09 है0, आराजी संख्या 95/2 रकबा 0.21 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 9.40 है0 भूमि अभयसिंह दत्तक पुत्र डुंगरसिंह 1/4 राजपूत रहन एसबीबीजे रायपुर, देवीसिंह पिता अमरसिंह 1/4, दीपसिंह पिता अमरसिंह 1/4, मनोहरसिंह पिता अमरसिंह मृतक के बजाय धनकंवर पत्नि मनोहरसिंह, तेजसिंह, श्यामसिंह, श्रवणसिंह पुत्र मनोहरसिंह, कमलाकंवर, पुष्पाकंवर, सुखाकंवर पुत्री मनोहरसिंह 1/4 राजपूत सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 25.01.2024 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(सुबोध सिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)